www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 16.01.2017

सीबीआई ने शिकायतकर्ता को कथित रूप से धोखा देने पर प्राइवेट फर्म के तत्कालीन निदेशक एवं अन्यों के विरूद्ध मामला दर्ज किया

सीबीआई ने वर्ष 2014की समादेश याचिका (पी.आई.एल.) संख्या 1635 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा ज़ारी आदेश पर प्राइवेट फर्म के तत्कालीन निदेशकों व प्रबन्धकों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी, 420, 406, 467, 468 एवं 471 के तहत मामला दर्ज किया और झारखण्ड पुलिस द्वारा दिनांक 11.05.2013 को दुमका पुलिस स्टेशन द्वारा पहले से ही दर्ज मामले की जॉच को अपने हाथों में लिया।

ऐसा आरोप था कि कोलकाता की प्राइवेट फर्म के प्रबन्धक एवं मुख्य प्रबन्ध निदेशक व अन्यों ने शिकायतकर्ता से उसके निवेश के साथ ब्याज को वापस करने के झूठे वादे पर तीन करोड़ रू. (लगभग) की राशि की धोखाधड़ी की। आरोपी व्यक्तियों ने दुमका स्थित अपने कार्यालय को बन्द कर फरार हो गए। ऐसा भी आरोप था कि कम्पनी जनमानस से धन जमा कराने हेतु आर.बी.आई./ सेबी के द्वारा अधिकृत नही थी।

कोलकाता व उत्तरी 24 परगना सहित आठ स्थानों पर स्थित आरोपी के परिसरों में तलाशी की गई जिसमें कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

आगे की जॉच जारी है।

****